राजस्थान उच्च न्यायालय
जयपुर बेंच
एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या. 15763/2024

जितेंद्र सिंह पुत्र श्री सुरेंद्र पाल सिंह, उम्र लगभग 48 वर्ष, निवासी 180, पटेल नगर, देवली, जिला टोंक राजस्थान।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय जयपुर के माध्यम से
2. निदेशक स्थानीय निकाय निदेशालय, जी-3, राजमहल रेजीडेंसी क्षेत्र, सिविल लाइन्स फाटक, सी-स्कीम, जयपुर।
3. नगर पालिका परिषद देवली, जिला टोंक अपने अधिशासी अधिकारी के माध्यम से।
4. श्री नेमीचंद जैन पुत्र बाबू लाल जैन, अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद देवली, जिला टोंक।

----उत्तरदाता

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए : श्री लक्ष्मी कांत मालपुरा
उत्तरदाता(ओं) के लिए :

माननीय श्री जस्टिस अवनीश झिंगन
आदेश

10/10/2024

1. यह याचिका नगरपालिका बोर्ड, देवली, जिला टोंक द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.09.2024 और संकल्प संख्या 1 दिनांक 30.07.2024 को रद्द करने की मांग करते हुए दायर की गई है।

2. संक्षिप्त तथ्य यह है कि नगरपालिका बोर्ड ने खसरा संख्या 4240 और 4279, कुल 1.24 एकड़ क्षेत्रफल में देवली में जिला अस्पताल स्थापित करने हेतु एक प्रस्ताव पारित किया। यह भी ध्यान में रखा गया कि खसरा संख्या 4280 का निजी खातेदार 60 फीट चौड़ी सड़क के लिए भूमि समर्पित करने को तैयार था। प्रस्ताव को राज्य सरकार के पास स्वीकृति हेतु भेजा गया। दिनांक 11.09.2024 को निदेशक, विशेष सचिव, स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

3. याचिका में तर्क दिया गया है कि अस्पताल की स्थापना प्रतिवादी संख्या 4, जो कि टोंक जिले के देवली नगरपालिका बोर्ड के अध्यक्ष हैं, को लाभ पहुँचाने के लिए की जा रही है। प्रतिवादी संख्या 4 की पत्नी की ज़मीन

(29/05/2025 को 02:46:24 बजे डाउनलोड किया गया)

उस ज़मीन से सटी हुई है जहाँ अस्पताल स्थापित किया जाना है। इसके अलावा, देवली में अस्पताल स्थापित करने के लिए और भी उपयुक्त जगहें उपलब्ध हैं। तर्क यह है कि खारसा संख्या 4280 के खातेदार ने ज़मीन की कीमत में वृद्धि से लाभ कमाने के उद्देश्य से ही सड़क के लिए ज़मीन छोड़ी है।

4. अस्पताल स्थापित करने के लिए जगह चिन्हित करना एक नीतिगत निर्णय है। रिट याचिका में यह न्यायालय इस निर्णय के विरुद्ध अपील नहीं कर सकता। केवल यह तथ्य कि प्रतिवादी संख्या 4 की पत्नी की ज़मीन उस ज़मीन से सटी हुई है जहाँ अस्पताल स्थापित किया जाना है, दुर्भावना का आरोप लगाने का आधार नहीं हो सकता।

5. यह उल्लेख करना अनुचित नहीं होगा कि संबंधित भूमि पर अस्पताल स्थापित करने का आरोप इसलिए लगाया जा रहा है ताकि प्रतिवादी संख्या 4 की पत्नी की भूमि का मूल्य बढ़ाया जा सके, तथा यह आरोप उसे पक्षकार बनाए बिना लगाया जा रहा है।

6. रिट क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनता।

7. तदनुसार रिट याचिका खारिज की जाती है।

(अवनीश झिंगन),जे

मोनिका/35

क्या रिपोर्ट योग्य है: हाँ

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाशा में कर सकेगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निश्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"

Tarun Mehra
Advocate

(29/05/2025 को 02:46:24 बजे डाउनलोड किया गया)

(29/05/2025 को 02:46:24 बजे डाउनलोड किया गया)